मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई, 2013 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 9 जुलाई, 2013 (आषाढ़ 18, 1935)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार –

(1) मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (क्रमांक 1 सन् 2013),

(2) मध्यप्रदेश जल विनियमन अध्यादेश, 2013 (क्रमांक 2 सन् 2013); तथा

(3) मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) संशोधन अध्यादेश, 2013 (क्रमांक 3 सन् 2013)

पटल पर रखेंगे,

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री कैलाश विजयवर्गीय, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का 43 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 2008-2009, वर्ष समाप्ति दिनांक 31 मार्च, 2009 के लिये पटल पर रखेंगे.

(2) श्री सरताज सिंह, वन मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का 37 वां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे वर्ष 2011-2012 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री अजय विश्नोई, पशु पालन मंत्री, मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम अधिनियम, 1982 (क्रमांक 37 सन् 1982) की धारा 27 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 पटल रखेंगे.

(4) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 17 सन् 2007) की धारा 37 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-2012 पटल पर रखेंगे.

(5) श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पुलिस हाऊसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल का इक्तीसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 2011-2012 पटल पर रखेंगे.

(6) श्री राजेन्द्र शुक्ल, ऊर्जा मंत्री, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार ऊर्जा विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं –

(i) अधिसूचना क्रमांक 765/म.प्र.वि.नि.आ./2013, दिनांक 5 मार्च, 2013,

(ii) अधिसूचना क्रमांक 1288/म.प्र.वि.नि.आ./2013, दिनांक 3 मई, 2013,

(iii) अधिसूचना क्रमांक 1671/म.प्र.वि.नि.आ./2013, का शुद्धि पत्र दिनांक 14 जून, 2013,

पटल पर रखेंगे.

(7) श्री कन्हैयालाल अग्रवाल, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 35 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग का वार्षिक लेखा वर्ष 2010-2011 पटल पर रखेंगे.

4. फरवरी-मार्च, 2013 सत्र निर्धारित अवधि के पूर्व स्थगित हो जाने के फलस्वरूप शेष दिनांकों के प्रश्नोत्तरों का संकलन तथा इसी सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

5. नियम 267-क के अधीन फरवरी-मार्च, 2013 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

6. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना.

7. नियम 138(1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, श्री श्रीकांत दुबे, सदस्य, पन्ना जिले की भीतरी-मटपुरी परियोजना के अंतर्गत निर्मित बांध क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री सुरेश चौधरी, सदस्य, मुरैना जिले के सबलगढ़ क्षेत्र की दूरस्थ बसाहटों में हैण्डपंप खनन किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

8. सभापति तालिका की घोषणा

9. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री मोतीलाल तिवारी ,सदस्य, सतना जिले के-
  (क) ग्राम तिलौरा के शासकीय माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन किये जाने,
  (ख) ग्राम सभागंज में विद्युत सब स्टेशन स्थापित किये जाने,
  (ग) ग्राम भरौली के हाई स्कूल का हायर सेकेड्री में उन्नयन किये जाने,तथा
  (घ) ग्राम अजवाइन में विद्युत सब स्टेशन स्थापित किये जाने,

(2) श्री रमेश प्रसाद खटीक, सदस्य, शिवपुरी जिले के-
  (क) नगर पंचायत नरवर के वार्ड क्र. 9 के कब्रिस्तान की बाउन्ड्रीवाल निर्माण किये जाने
  (ख) ग्राम डोंगरपुर से केरूआ तक सड़क निर्माण किये जाने,
  (ग) नगर पंचायत नरवर के वार्ड नं. 3 में हैण्ड पंप खनन किये जाने,
  (घ) नगर पंचायत नरवर के वार्ड क्र. 9 में हैण्ड पंप खनन किये जाने,
  (ड.) ग्राम छित्तीपुर के शा. माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन किये जाने,
  (च) ग्राम कांकर में नवीन हाई स्कूल खोले जाने,
  (छ) ग्राम डिकवास से कुड़वार तक सड़क निर्माण किये जाने,

(3) श्रीमती नीता पटेरिया, सदस्य, सिवनी जिले के-
  (क) ग्राम परतापुर में विद्युत पोल तथा तार लगवाये जाने,,
  (ख) सिवनी स्थित बावरिया तालाब में वाटर स्पोर्टस की व्यवस्था किये जाने,
  (ग) ग्राम पोंगार की सागर नदी पर रपटा निर्माण किये जाने,
  (घ) ग्राम डोगरिया टोला के माध्यमिक शाला का उन्नयन किये जाने,
  (ड.) ग्राम कंडीवार से डोगरिया टोला तक सड़क निर्माण किये जाने,
  (च) ग्राम गुदरई से चावड़ी के बीच रेतिया नाला पर पुलिया निर्माण किये जाने, तथा
  (छ) ग्राम देवरी कला की बिजना नदी पर पुल निर्माण किये जाने,

(4) श्री विजेन्द्र सिंह मलाहेड़ा (विज्जु बना), सदस्य, नीमच जिले के ग्राम मालाहेड़ा से पड़दा रोड का निर्माण किये जाने,
के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे।

10. वर्ष 2013-2014 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, वर्ष 2013-2014 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करेंगे.

11. मंत्रिपरिषद पर अविश्वास का प्रस्ताव

श्री अजय सिंह , नेता प्रतिपक्ष, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे –

“ यह सदन मुख्यमंत्री, श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में गठित मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास प्रकट करता है.”

12. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री, मध्यप्रदेश धर्म-स्वातन्त्र्य (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 12 सन् 2013) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री, मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 13 सन् 2013) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(3) श्री जयंत मलैया, जल संसाधन मंत्री, मध्यप्रदेश जल विनियमन विधेयक, 2013 (क्रमांक 14 सन् 2013) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(4) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री, मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) संशोधन विधेयक, 2013 (क्रमांक 15 सन् 2013) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(5) श्री गोपाल भार्गव, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 16 सन् 2013) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(6) श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 17 सन् 2013) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(7) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री, दंड प्रक्रिया संहिता (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(8) श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 19 सन् 2013) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 8 जुलाई, 2013